

राजस्थान सरकार  
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

सावित्री चौराहा, अशोक मार्ग, अजमेर, 305001, (राजस्थान)

क्रमांक:प.1/प्रति-2/चिकि./अध्य.अव./अनापत्ति/2020/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 10 (30)आयु./2020 दिनांक 14.10.2020 की अनुपालना में निम्नांकित चिकित्साधिकारियों को वर्ष 2020 में एम.डी.पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1-राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार, वहन नहीं किया जायेगा।

2-सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

क्र. सं.	नाम चिकित्साधिकारी	पदस्थापन स्थान	चिकित्सक पद पर कार्यारम्भ दिनांक	चिकित्सक पद पर नियुक्ति का माध्यम
1	डॉ यशवन्त कुमार परमार	राजकीय आयुर्वेद औषधालय बोखला पाल-डुंगरपुर	28.9.2015	27.9.2018 तीन वर्ष पूर्ण
2	डॉ पूजा मीना	राजकीय आयुर्वेद औषधालय करीरी, तह.टोडाभीम-करौली	28.9.2015	27.9.2018 तीन वर्ष पूर्ण
3	डॉ अखलेश मीना	राजकीय आयुर्वेद औषधालय बौल, तह.टोडाभीम-करौली	09.4.2012	08.4.2012 तीन वर्ष पूर्ण
4	डॉ सुनीता मीना	राजकीय आयुर्वेद औषधालय कूँजैला-करौली	05.4.2012	04.4.2015 तीन वर्ष पूर्ण
5	डॉ ओम प्रकाश	राजकीय आयुर्वेद औषधालय कोसाना-जोधपुर	03.1.2013	03.1.2016 तीन वर्ष पूर्ण
6	डॉ रामकेश मीना	जिला चिकित्सालय-झालावाड़	06.4.2012	05.4.2015 तीन वर्ष पूर्ण
7	डॉ इकबाल मोहम्मद पठान	एक छत - झालावाड़	10.11.2015	09.11.2018 तीन वर्ष पूर्ण
8	डॉ उदयराज मीणा	राजकीय आयुर्वेद औषधालय, माथनिया-झालावाड़	05.4.2012	04.4.2015 तीन वर्ष पूर्ण
9	डॉ राकेश परिहार	राजकीय आयुर्वेद औषधालय हिम्मतगढ़-झालावाड़	05.4.2012	04.4.2015 तीन वर्ष पूर्ण

(सीमा शर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:प.1/प्रति-2/चिकि./अध्य.अव./अनापत्ति/2020/ 15228

दिनांक:- 5-11-2020

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित है:-

1-उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 10 (30)आयु./2020 दिनांक 14.10.2020 के संदर्भ में।

2- अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग-उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा(राजस्थान)

4- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला डूंगरपुर/करौली/जोधपुर/झालावाड़ (राजस्थान) को देकर निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 01 व 02 में अंकित शर्तों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करावे।संबन्धित को चयन होने के उपरान्त सम्बन्धित संकाय का उल्लेख करते हुए कार्यमुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित को कार्यमुक्त किया जाये।

6-प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को दी जाकर लेख है कि संबन्धित कार्यालयों को जरीये ई-मेल भिजवाये एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करावे।

7-संबन्धित चिकित्सक क्र.सं. 01 से 09 तक द्वारा उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान।

8-प्रभारी प्रति-1 चिकित्सक निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।

9-सामान्य पत्रावली।

(आनन्द कुमार शर्मा)  
अति.निदेशक(आयु.)